ACTU
australian council of trade unions

जॉबकीपर वेतन छूट योजना तथ्य पत्रक

CV04 4.3

जॉबकीपर भुगतान कोरोनावायरस से प्रभावित हुए पात्र व्यवसायों व गैर-लाभ सँस्थाओं को दिया जाने वाला एक भुगतान है, जो उन्हें कर्मियों का रोजगार बनाए रखने के लिए समर्थन देता है। इसमें भाग लेने का चयन करने वाले पात्र व्यवसायों को 1 मार्च 2020 तक काम पर रखे गए पात्र लोगों का रोजगार बनाए रखने में समर्थन के लिए $1,500 प्रति पखवाड़े प्रति पात्र कर्मी का भुगतान प्राप्त होगा।

ऑस्ट्रेलियाई यूनियन आंदोलन यह सुनिश्चित करने के लिए अभियान जारी रखेगा कि वेतन छूट की आवश्यकता वाले सभी कर्मियों को वेतन छूट सुलभ हो। वर्तमान में निम्नलिखित व्यवस्थाएँ उपलब्ध हैं:

कौन से व्यवसाय पात्र हैं?

- व्यवसाय जॉबकीपर के लिए पात्र होगा, यदि वह:
  - $1 बिलियन से कम टर्नओवर वाला व्यवसाय या गैर-लाभ सँस्था है, जो टर्नओवर में 30% या इससे अधिक की गिरावट का प्रमाण दे सकता है;
  - $1 बिलियन से अधिक टर्नओवर वाला व्यवसाय या गैर-लाभ सँस्था है, जो टर्नओवर में 50% या इससे अधिक की गिरावट का प्रमाण दे सकता है;
  - ऑस्ट्रेलियाई दान-सँस्थाएँ और गैर-लाभ आयोग [Australian Charities and Not-for-profits Commission] के साथ पंजीकृत एक दान-सँस्था है, जो टर्नओवर में 15% या इससे अधिक की गिरावट का प्रमाण दे सकता है।
- यदि कोई व्यवसाय आयकर के उद्देश्यों से एक समेकित समूह [consolidated group] का हिस्सा है जिसका टर्नओवर $1 बिलियन से अधिक है, तो उस समेकित समूह के प्रत्येक व्यवसाय के लिए 50 प्रतिशत या अधिक का टर्नओवर परीक्षण लागू होगा। यदि समेकित समूह का टर्नओवर $1 बिलियन से कम है, तो उसके प्रत्येक व्यवसाय के लिए 30 प्रतिशत या अधिक टर्नओवर परीक्षण लागू होगा। समेकित समूह के कुछ व्यवसाय-विशेष जॉबकीपर भुगतान के लिए पात्र हो सकते हैं, जबकि समूह के अन्य व्यवसाय अपात्र हो सकते हैं।
- असंगत आय या हाल ही में परिचालन शुरू करने के कारण टर्नओवर में गिरावट को प्रमाणित करने में असमर्थ व्यवसाय एक वैकल्पिक आय-हानि परीक्षण के लिए निवेदन करने में सक्षम होंगे।
- निम्नलिखित निकाय जॉबकीपर प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं
  - *मेजर बैंकिंग लेवी अधिनियम [Major Banking Levy Act]* 2017 के अधीन बैंकिंग सँस्थान
  - सरकारी एजेंसियाँ, स्थानीय सरकारों के निकाय या संपूर्ण रूप से इस प्रकार की सँस्थाओं के स्वामित्व के अधीन आने वाली वाली सँस्थाएँ
  - परिसमापकों [liquidators] या अनंतिम परिसमापकों [provisional liquidators] की नियुक्ति करने वाली कंपनियाँ।

कौन से कर्मी पात्र हैं?

- वह कर्मी पात्र होता है:

- जिसे पखवाड़े में किसी भी समय पात्र कार्य-नियोक्ता द्वारा काम पर रखा जाता है (इनमें स्टुड डाउन [stood down] किए गए या दोबारा काम पर रखे गए कर्मी शामिल हैं);
    - जो 1 मार्च 2020 के दिन 12 महीनों से अधिक की अवधि के लिए पूर्णकालिक या अंशकालिक कार्यरत कर्मी था, या नियमित और व्यवस्थित आधार पर कार्यरत किया जाने वाला आकस्मिक कर्मी था;
    - जिसकी आयु 1 मार्च 2020 के दिन 16 वर्ष या इससे अधिक थी;
    - जो 1 मार्च 2020 के दिन ऑस्ट्रेलियाई नागरिक, स्थायी वीज़ा धारक या विशेष श्रेणी (उपवर्ग 444) [Special Category (Subclass 444)] वीज़ा धारक था;
    - जो 1 मार्च 2020 के दिन ऑस्ट्रेलियाई कर उद्देश्यों के लिए निवासी था; तथा
    - जिसे किसी अन्य कार्य-नियोक्ता से जॉबकीपर भुगतान प्राप्त नहीं हो रहा है।
- स्व-रोजगार में काम करने वाले लोग भी पात्र हैं, बशर्ते आवेदन करते समय:
    - उन्हें अपने टर्नओवर में 30 प्रतिशत या इससे अधिक की गिरावट होने का अनुमान है;
    - उनके पास 12 मार्च 2020 के दिन एबीएन [ABN] था, और - या तो
        - 2018-19 वर्ष के लिए उनकी आकलन-योग्य आय में कुछ धनराशि शामिल थी और इस धनराशि को 12 मार्च 2020 (या आयुक्त द्वारा अनुमत इसके बाद की तिथि) को या इससे पहले जमा की गई आयकर वापसी में शामिल किया गया था, या
        - उन्होंने 1 जुलाई 2018 से लेकर 12 मार्च 2020 के बीच आपूर्ति की थी और 12 मार्च 2020 (या आयुक्त द्वारा अनुमत इससे बाद की तिथि) को या इससे पहले आयुक्त को इसके बारे में जानकारी प्रदान की थी;
    - वे सक्रिय रूप से व्यवसाय में संलग्न थे;
    - उनके पास किसी अन्य जॉबकीपर भुगतान का अधिकार नहीं हैं (या तो किसी अन्य व्यवसाय के एक नामित व्यवसायी प्रतिभागी या उसके पात्र कर्मी के रूप में);
    - वे 1 मार्च 2020 के दिन कम से कम 16 वर्ष की आयु के थे; तथा
    - वे 1 मार्च 2020 के दिन ऑस्ट्रेलियाई नागरिक, स्थायी वीज़ा धारक या विशेष श्रेणी (उपवर्ग 444) [Special Category (Subclass 444)] वीज़ा धारक थे;

कौन पात्र नहीं है?

    - 12 महीने से कम अवधि के लिए कार्यरत आकस्मिक कर्मी
    - 444 वीज़ा के अलावा किसी अन्य अस्थायी वीज़ा पर काम करने वाले कर्मी
- कुछ परिस्थितियों में कर्मी अस्थायी रूप से भुगतान प्राप्त करने के लिए अपात्र (कई पखवाड़ों के लिए) हो सकता है। किसी निकाय के कर्मी की पात्रता एक पखवाड़े के लिए रद्द की जा सकती है, यदिः
    - उस व्यक्ति-विशेष को (सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाले) मातृत्व-पैतृत्व अवकाश का भुगतान देय है और उसके पीपीएल [PPL] की अवधि पखवाड़े के साथ ओवरलैप करती है या पखवाड़े के दिन उसके पीपीएल की अवधि के अंदर आते हैं; या
    - उसे पखवाड़े में किसी भी समय (सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाले) पिता और सहजीवी वेतन [dad and partner pay] का भुगतान किया जाता है; या
    - उसके लिए निम्नलिखित सभी शर्तें लागू होती हैं:
        - वह व्यक्ति-विशेष पूरे पखवाड़े की अवधि में काम करने के लिए पूरी तरह से अक्षम है;

    - ऑस्ट्रेलियाई कर्मी क्षतिपूर्ति कानून के तहत, या इसके अनुरूप, उस व्यक्ति-विशेष की संपूर्ण अक्षमता के संबंध में उसे एक राशि देय है;
    - यह धनराशि अवधि के साथ ओवरलैप करने वाले पखवाड़े, या अवधि के अंदर आने वाले पखवाड़े के संदर्भ में देय है।

व्यवसाय भुगतान के लिए दावा कैसे कर सकते हैं?

- भुगतान के लिए दावा करने हेतु व्यवसायों को आयुक्त (एटीओ के माध्यम से) के समक्ष भुगतान के लिए दावा करने का अपना उद्देश्य प्रकट करना होगा। इसके लिए एटीओ की वेबसाइट पर पंजीकरण किया जा सकता है।
- उन्हें एटीओ को अपने ऐसे कर्मियों के व्यक्तिगत विवरण भी प्रदान करने होंगे, जिनके लिए वे भुगतान के लिए दावा करने का उद्देश्य रखते हैं।
- कार्य-नियोक्ताओं को एक 'नामांकन सूचना' ['nomination notice'] के माध्यम से अपने कर्मियों से इस बारे में अनुमति लेनी चाहिए कि वे इस योजना के प्रयोजनों के लिए उन्हें पात्र कर्मियों के रूप में नामित करना चाहते हैं।
- एकल स्पर्श पेरोल प्रणाली [single touch payroll system] के माध्यम से भुगतान स्वतः रूप से किए जाएँगे। इस प्रणाली का प्रयोग न करने वाले वाले व्यवसायों को भौतिक भुगतान प्रणाली का उपयोग करना होगा।

कर्मियों को कितनी धनराशि प्राप्त होगी?

- यदि आप एक पात्र कर्मी हैं और आपके कार्य-नियोक्ता ने इस योजना में भाग लेने के लिए आपको नामित किया है, तो:
    - किसी पखवाड़े में छूट प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक होगा कि आपको अपने कार्य-नियोक्ता से उस पखवाड़े में करपूर्व $1,500 या इससे अधिक का वेतन प्राप्त हो। इस न्यूनतम धनराशि में निम्नलिखित स्रोतों की गणना की जाती है:
        - वेतन, आय, कमिशन, बोनस या भत्ते
        - कर से संबंधित उद्देश्यों के लिए आय में की गई कटौतियाँ
        - सुपरएन्युएशन योगदान
- यदि आपका कार्य-नियोक्ता अभी भी व्यवसाय का संचालन कर रहा है और सामान्य रूप से आपकी आमदनी प्रति पखवाड़े $1,500 से अधिक है, तो आपके पास अपने एवॉर्ड या उद्यम सौदेबाजी समझौते [Enterprise Bargaining Agreement] के आधार पर सामान्य रूप से मिलने वाले सभी भुगतान और योगदान प्राप्त करने का अधिकार होगा। आपके वेतन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए।
- यदि आपको स्टुड डाउन कर दिया गया है या आपका वेतन $1,500 प्रति पखवाड़े से कम है, तो आपको भुगतान में कम से कम $1,500 (करपूर्व) प्रति पखवाड़े की धनराशि प्राप्त होगी। $1,500 की इस धनराशि और उस सप्ताह में अपने काम के लिए आपको मिलने वाली धनराशि के बीच के अंतर पर अतिरिक्त सुपएन्युएशन भुगतान देय नहीं होंगे, परंतु आप अपने कार्य-नियोक्ता से देय धनराशि का कुछ अंश सुपरएन्युएशन में योगदान करने के बारे में बात कर सकते/सकती हैं।

ध्यान दें: यह तथ्य पत्रक ट्रेज़री की सलाह पर आधारित है और 08 अप्रैल 2020 को प्रकाशन के समय सही था।